



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072026-274735
CG-DL-E-23072026-274735

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3879]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 23, 2026/श्रावण 1, 1948

No. 3879]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 23, 2026/SHRAVAN 1, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2026

का.आ. 4049(अ).— केंद्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003का 15) की धारा 43 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 372(अ) तारीख 5 फरवरी, 2016 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में गुजरात राज्य से संबंधित क्रम संख्या 6 के सामने स्तंभ (3) और स्तंभ (4) की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(3)	(4)
“नगर सिविल और सेशन न्यायालय, भद्रा, अहमदाबाद में कार्यरत सभी सीबीआई विशेष न्यायालय।	सभी मामले जहां अनुसूचित/निर्धारक अपराध सीबीआई से संबंधित हैं या माननीय गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा यथानिदेशित मामले
प्रधान जिला न्यायाधीश, सूरत	गुजरात के सूरत, नवसारी, वलसाड, तापी और भरुच जिले।”

[फा. सं. सी-18015/1/2026-एडी.ईडी]

राजीव लोचन, अवर सचिव

टिप्पण:- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 372(अ) तारीख 5 फरवरी, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2026

S.O. 4049(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 43 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003) and in consultation with the Chief Justice of High Court of Gujarat, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii) *vide* number S.O.372(E), dated the 5th February, 2016, namely :-

In the said notification, in the TABLE, against serial number 6 relating to the State of Gujarat, after the existing entries in columns (3) and (4), the following entries shall respectively be inserted, namely :-

(3)	(4)
“All CBI Special Courts functional at City Civil and Sessions Court, Bhadra, Ahmedabad.	All cases where the scheduled/predicate offences pertain to CBI or as directed by the Hon’ble High Court of Gujarat.
Principal District Judge, Surat.	Cases pertaining to Surat, Navasari, Valsad, Tapi and Bharuch districts of Gujarat.”

[F. No. C-18015/1/2026-Ad.ED]

RAJEEV LOCHAN, Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 372(E), dated the 5th February, 2016.